INTRODUCTION

Citizenship has been defined as full and equal membership of a political community. In the contemporary world, states provide a collective political identity to their members as well as certain rights. Therefore we think of ourselves as Indians, or Japanese, or Germans, depending on the state to which we belong. Citizens expect certain rights from their state as well as help and protection wherever they may travel.

भूमिका

नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामृहिक राजनीतिक पहचान के साथ-साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। इसलिए हम संबद्ध राष्ट के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। नागरिक अपने राष्ट से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं।

Each of the rights now enjoyed by citizens has been won after struggle. Some of the earliest struggles were fought by people to assert their independence and rights against powerful monarchies. Many European countries experienced such struggles, some of them violent, like the French Revolution in 1789. In the colonies of Asia and Africa, demands for equal citizenship formed part of their struggle for independence from colonial rulers. In South Africa, the black African population had to undertake a long struggle against the ruling white minority for equal citizenship. This continued until the early 1990s. Struggles to achieve full membership and equal rights continue even now in many parts of the world. You may have read about the women's movement and the dalit movement in our country. Their purpose is to change public opinion by drawing attention to their needs as well as to influence government policy to ensure them equal rights and opportunities.

नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्षं शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। अनेक य्रोपीय देशों में एसे संघर्ष हुए। उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की माँग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारेमें पढ़ा होगा। उनका मकसद है अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना।

However, citizenship is about more than the relationship between states and their members. It is also about citizencitizen relations and involves certain obligations of citizens to each other and to the society. These would include not just the legal obligations imposed by states but also a moral obligation to participate in, and contribute to, the shared life of the community. Citizens are also considered to be the inheritors and trustees of the culture and natural resources of the country.

नागरिकता सिर्फ राज्यसत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण नहीं, बल्कि उससे अधिक है। यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। इसमें नागरिकों के एक-दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल हैं। इनमें सिर्फ राष्ट द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएँ नहीं, बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है।

EQUAL RIGHTS

To try and ensure equal rights and opportunities for all citizens cannot be a simple matter for any government. Different groups of people may have different needs and problems and the rights of one group may conflict with the rights of another. Equal rights for citizens need not mean that uniform policies have to be applied to all people since different groups of people may have different needs. If the purpose is not just to make policies which would apply in the same way to all people, but to make people more equal, the different needs and claims of people would have to be taken into account when framing policies.

समान अधिकार

सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता। विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरत और समस्याएँ अलग-अलग हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू कर दी जाएँ, क्योंकि विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरतें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। अगर प्रयोजन सिर्फ एसी नीति बनाना नहीं है, जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न ज़रूरतों और दावों का ध्यान रखना होगा।

CITIZEN AND NATION

The concept of nation state evolved in the modern period. One of the earliest assertions regarding the sovereignty of the nation state and democratic rights of citizens was made by the revolutionaries in France in 1789. Nation states claim that their boundaries define not just a territory but also a unique culture and shared history. The national identity may be expressed through symbols like a flag, national anthem, national language, or certain ceremonial practices, among other things.

नागरिक और राष्ट

राष्ट राज्य की अवधारणा आधिनक काल में विकसित हुई। राष्ट राज्य की संप्रभुता और नागिरकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट-राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएँ सिर्फ राज्यक्षेत्र को नहीं, बिल्क एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है।

India defines itself as a secular, democratic, nation state. The movement for independence was a broad based one and deliberate attempts were made to bind together people of different religions, regions and cultures. True, Partition of the country did take place in 1947 when differences with the Muslim League could not be resolved, but this only strengthened the resolve of Indian national leaders to maintain the secular and inclusive character of the Indian nation state they were committed to build. This resolve was embodied in the Constitution.

भारत स्वयं को धर्मिनरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट-राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृतसंकल्प प्रयास किए गए। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका, तब 1947 में देश का विभाजन हुआ। लेकिन इसने उस राष्ट-राज्य के धर्मिनरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मज़बूत ही किया जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। यह निश्चय संविधान में सिम्मिलत किया गया।

The Indian Constitution attempted to accommodate a very diverse society. To mention just a few of these diversities, it attempted to provide full and equal citizenship to groups as different as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, many women who had not previously enjoyed equal rights, some remote communities in the Andaman and Nicobar islands who had had little contact with modern civilization, and many others. It also attempted to find a place for the different languages, religions and practices found in different parts of the country. It had to provide equal rights to all without at the same time forcing people to give up their personal beliefs, languages or cultural practices. It was therefore a unique experiment which was undertaken through the Constitution.

भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की। इन विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय हैं। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे भिन्न-भिन्न समुदायों, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएँ, आध्निक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंदमान और निकोबार द्वोपसमूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान बनाये रखने का प्रयास किया। इसे लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा या सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किये बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। संविधान के ज़रिये आरंभ किया गया यह अद्वितीय प्रयोग था।

The provisions about citizenship in the Constitution can be found in Part Two and in subsequent laws passed by Parliament. The Constitution adopted an essentially democratic and inclusive notion of citizenship. In India, citizenship can be acquired by birth, descent, registration, naturalisation, or inclusion of territory. The rights and obligations of citizens are listed in the Constitution. There is also a provision that the state should not discriminate against citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. The rights of religious and linguistic minorities are also protected.

नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया। भारत में जन्म. वंश-परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू-क्षेत्र के राज क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं। यह प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है।

However, even such inclusive provisions have given rise to struggles and controversies. The women's movement, the dalit movement, or struggles of people displaced by development projects, represent only a few of the struggles being waged by people who feel that they are being denied full rights of citizenship. The experience of India indicates that democratic citizenship in any country is a project, an ideal to work towards. New issues are constantly being raised as societies change and new demands are made by groups who feel they are being marginalised. In a democratic state these demands have to be negotiated.

हालाँकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों का संघर्ष एसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघषों के कुछ नमूने हैं, जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत के अनुभव से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना या लक्ष्य सिद्धि का एक आदर्श है। जैसे-जैसे समाज बदल रहे हैं, वैसे-वैसे नित नए मुद्दे उठाये जा रहे हैं और वे समूह नई माँगें पेश कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि वे हाशिये पर ठेले जा रहे हैं। लोकतांत्रिक राज्य में इन माँगों पर खुले दिमाग से बातचीत करनी होती है।

UNIVERSAL CITIZENSHIP सार्वभौमिक नागरिकता

GLOBAL CITIZENSHIP विश्व नागरिकता

Supporters of global citizenship argue that although a world community and global society does not yet exist, people already feel linked to each other across national boundaries. They would say that the outpouring of help from all parts of the world for victims of the Asian tsunami and other major calamities is a sign of the emergence of a global society. They feel that we should try to strengthen this feeling and work towards a concept of global citizenship.

विश्व नागरिकता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व-क्टूंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार लोग आज एक-दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी दैवी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों से उमड़ा भावोद्गार विश्व-समाज की उभार का संकेत है। वे मानते हैं कि हमें इस भावना को मज़बूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सिक्रय होना चाहिए।

The concept of national citizenship assumes that our state can provide us with the protection and rights which we need to live with dignity in the world today. But states today are faced with many problems which they cannot tackle by themselves. In this situation are individual rights, guaranteed by the state, sufficient to protect the freedom of people today? Or has the time come to move to a concept of human rights and global citizenship?

राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारी राज्यसत्ता हमें वह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विश्व में गरिमा के साथ जीने के लिए ज़रूरत है। लेकिन राजसत्ताओं के समक्ष आज एसी अनेक समस्याएँ हैं. जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकतीं। क्या इस परिस्थिति में राज्यसत्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं या क्या मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है?

One of the attractions of the notion of global citizenship is that it might make it easier to deal with problems which extend across national boundaries and which therefore need cooperative action by the people and governments of many states. For instance, it might make it easier to find an acceptable solution to the issue of migrants and stateless peoples, or at least to ensure them basic rights and protection regardless of the country in which they may be living.

विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में से एक यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई ज़रूरी होती है। उदाहरण के लिए इससे प्रवासी और राज्यहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है या कम से कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है चाहे वे जिस किसी देश में रहते हों।

In the previous section, we saw that equal citizenship within a country can be threatened by the socio-economic inequalities or other problems which might exist. Such problems can ultimately only be solved by the governments and people of that particular society. Therefore, full and equal membership of a state remains important for people today. But the concept of global citizenship reminds us that national citizenship might need to be supplemented by an awareness that we live in an interconnected world and that there is also a need for us to strengthen our links with people in different parts of the world and be ready to work with people and governments across national boundaries.

पिछले खंड में हमने देखा कि एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक-आर्थिक असमानता या अन्य मौजूदा समस्याओं से खतरा हो सकता है। इन समस्याओं का सामाधान अंतत: सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्त्वपूर्ण है। लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस समझदारी से जोड़ने की ज़रूरत है कि हम आज अंतसंबद्ध विश्व में रहते हैं और हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मज़बूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हों।